

Not Press 28⁸/₂₄
K. J.

प्रतिया
note
press

A. J.

अधिवक्तागण उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता
के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,
188, 91, 92 A RTA नोटप्रेस किया। प्रतिवादी
अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी नोटप्रेस
किया। अधिवक्तागण को सुना गया व
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
लिखाया वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी
का काउन्टर क्लेम नोटप्रेस करने
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
विधि से होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर